वित्तीय वर्ष 2021–22 में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिये गये सुझाव

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की (प्रकीर्ण एवं कार्य संचालन) विनियमावली–2019 की स्वीकृति।

2. अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग के शासनादेश सं0–65/XVII–3/16–60(स.क.)/2013–टी0 सी0 दिनांक 15.01.2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 प्रतिशत बजट अल्पसंख्यकों हेतु जारी किया जाय।

3. उत्तराखण्ड राज्य में जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थापित है। पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति एवं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के आधार पर दो या दो से अधिक जनपदों में एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय खोला जायें। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कई बार सुझाव दिये गये है। जैसा कि जनपद उत्तरका ी एवं जनपद टिहरी हेतु 01 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी हेतु 01 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, जनपद–अल्मोड़ा, बागे वर हेतु 01 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय तथा जनपद–चम्पावत हेतु 01 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय की स्थापना की जाय।

4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में एक सदस्य अधिवक्ता नामित किया जाय।

5. अल्पसंख्यक विकास निधि एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट को बढ़ाते हुए रू0 10–10 करोड़ किया जाय।

6. राज्य लोक सेवा आयोग में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को भी एक सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

7. कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य योजना को निरन्तर किया जायेगा, ताकि अतिक्रमण को रोक जा सके।

8. अल्पसख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाय।

9. अल्पसंख्यकों के निर्धन परिवारों की बालिकाओं हेतु अल्पसख्यक बालिका विवाह हेतु अनुदान योजना स्वीकृत की जाय।

10. उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग में कार्यरत कार्मिकों की सेवा नियमावली निर्गत की जाय।

11. चार धाम यात्रा मार्ग की केन्द्रीय व प्राचीन श्रीनगर स्थित जैन मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर लाये जाने हेतु पर्यटन विभाग से सरकार दिशा–निर्देश जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।